

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्गिक

बनाम

डूकरी

कार्यवाही अन्तर्गत

128 CR 11/17

कसम मुकदमा

प्रतिवादी पक्ष

नं.

29

सन्

2020

(2020/00066)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/11/2021	<p>पत्रावली प्रस्तावकों के (संग) इनिशियल 2021 के तहत ग्राम 'प. सेजलीया' पर आयोजित विधि से निष्पत्ति हेतु जारी गई। इसके पत्रावली का अन्वेषण किया जाकर ग्राम सेजलीया स्थित आसनी सरणी 1606/530, 1607/569, 1608/1163, 1612/530, 571, 1613/572 की 6 कुल रकम 2.51 हे. भूमि की पत्तागदी फराना पावता है। पत्रावली से एतद्वय नकल जमावती नम्बर 2068-2071 कानून उक्त आसनीयात जारी की जाते हैं। (अतः पत्रावली का प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सेजलीया स्थित आसनी सरणी 1606/530, 1607/569, 1608/1163, 1612/530, 571, 1613/572 की 6 रकम 2.51 हे. भूमि की बिना किसी के फल से दर्जपदाकी फिर प्रत्येक नये कानून पत्तागदी फिर जाने के दोरे पर रिज जाते हैं। भूमि रकम शुल्क 1500=00 रुप कर दो एक हजार पांच सौ रुप प्रती वसत के 1000 पातनान्त तदधीनदार विवेक के लिखा जावे कि प्रस्तावकों को लिखित सूचना देकर निष्पत्ति पत्तागदी की जो वे एक साल रिपोर्ट मासिक से प्रस्तुत करें। पत्रावली केवल शुभार होकर नकल से कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)